FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

मूलचंद बनाम भूमि अवाप्ति अण्धिकारी वगै0.

किस्म मुकदमा– प्रा.पत्र 3 जी(5) रा0रा0अधिनियम नम्बर– 148 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2025	राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा वादी/प्रार्थी के निधन की सूचना दिनांक 9.5.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन उसके विधिक वारिसान की सूचना आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र अबेटमेंट में खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थना पत्र अबेटमेंट में खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 9.5.2025 का अवलोकन किया गया जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी मूलचंद के निधन की सूचना दी गई थी। निधन की सूचना के 90 दिवस के भीतर उनके विधिक वारिसान की सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थी के विधिक वारिसान की सूचना आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही प्रार्थी के विधिक वारिसान न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है। इस संबंध में सीपीसी 1908 के प्रावधान अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 अवलोकनीय हैः– आदेश 22 नियम 03. कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया (1) जहॉ दो या दो से अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी को या बकेले उत्तरजीवी वादियों को बचा नहीं रहता है या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहॉ इस निमित्त आवेदन किये जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवायेगा और वाद में अग्रसर होगा। वादी के अधिवक्ता द्वारा नियत समयावधि में वादी के विधिक वारिसान की सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अबेटमेंट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। Devendra जिला कलक्टर दौसा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official